

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

सि.नं. - 2766 - I - 16  
/2016 पुनरीक्षण

श्री. श्री. ए.बी. व.एम.  
द्वारा आज दि. 16-8-16 को  
प्रस्तुत

के.ए.ए.  
जि.डी.ओ. कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
16-8-16

मोहरसिंह पुत्र श्री सोपतसिंह  
जाटव आयु-36 वर्ष व्यवसाय-  
कृषि निवासी- ग्राम गुरीरा,  
तहसील मिहोना, जिला भिण्ड,  
म०प्र० -- आवेदक

बनाम

मुस० मन्जू वेवा कल्यानसिंह  
जाटव आयु- 25 वर्ष,  
निवासी-गुरीरा तहसील मिहोना,  
जिला भिण्ड, म०प्र०

-- अनावेदिका

R. S. Bhatia  
आ. 2-8-16  
18-8-16

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक  
21/07/2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय  
चम्बल सम्भाग मुरैना, म०प्र० के प्रकरण क्रमांक  
198/2014-15/अपील व उनवान मोहरसिंह  
बनाम मुस० मन्जू के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी  
लहार के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक  
15/2014-15/अपील में पारित आदेश को स्थिर  
रखा गया है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 28/2012-13/अ-6 में आदेश  
दिनांक 19/12/2014 के द्वारा नामान्तरण स्वीकार  
किया गया।


माननीय महोदय,

मोहरसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 <sup>2760</sup>~~2670~~/एक/16

जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.01.18	<p>आवेदक की ओर से श्री आर0एस0सेंगर, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित।</p> <p>उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा उपस्थित होकर तर्क दिया गया कि प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के मध्य आपसी समझौता हो गया है।</p> <p>अतः प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी समझौता होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अभिलेख सहित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।</p>	 सदस्य